

कार्यालय, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
आदेशांक-वा०क०अधि०/स्था०/समिति /2037/2024, लखनऊ::दि०::जून, 19, 2024

--आदेश--

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश सं०-4/2024/144-सामान्य/सैतालीस-का-4-2024-1/3/96 दिनांक 11.06.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष-2024-25 की सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्गत की गई है।

अतः वाणिज्य कर अधिकरण के अधिष्ठान के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्राप्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों पर विचार किये जाने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, लखनऊ (अध्यक्ष)
2. श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ (समिति सदस्य)
3. श्री तरुण कुमार, निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण उ०प्र० लखनऊ (समिति सदस्य)

अतः उक्त समिति अपनी आख्या यथाशीघ्र मुख्यालय प्रस्तुत करेगी।

ह०/19.06.2024

(रणधीर सिंह)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांक संख्या-वा०क०अधि०/स्था०/समिति/2037/2024. तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, लखनऊ (अध्यक्ष)
- 2- श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ। समिति सदस्य
- 3 .श्री तरुण कुमार, निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण उ०प्र० लखनऊ। समिति सदस्य।
- 4 .प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
- 5 .स्थापना-1/2, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि समिति के समक्ष प्राप्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों पर विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।